न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज आर ए एस

प्रकरण संख्या – 35/24 प्रा पग

1. श्रीमती कंकू w/o श्री लाल्या गुर्जर निवासी-राजपुरा तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री गिरधारी s/o श्री रायमल गुर्जर निवासी-राजपुरा तहसील-माण्डल
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 21.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजपुरा पटवार हल्का भीमड़ियास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 509, 513/1 कुल किता 02 रकबा 0.1771 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के खातेदारान के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26-02-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की पत्रावली के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं उसके काश्त कब्जा की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए स्थापित की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीमड़ियास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 509, 513/1 कुल किता 02 रकबा 0.1771 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:46:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि फीस जमा कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल